न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2024, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. रामजीलाल पुत्र भौंरीलाल
2. रामप्रताप पुत्र भौंरीलाल
3. रामबाबू पुत्र भौंरीलाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री यशवन्त मीना पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।
2. अरविन्द कुमार पुत्र जौहरीलाल
3. अशोक कुमार पुत्र जौहरीलाल
4. कैलाश पुत्र जौहरीलाल
5. रामकिशोर पुत्र जौहरीलाल
6. सीताराम पुत्र जौहरीलाल
7. बनवारीलाल पुत्र जगन्नाथ
8. भीखालाल पुत्र जगन्नाथ
9. प्रभाती पुत्री जगन्नाथ
10. श्यामलाल पुत्र जगन्नाथ

(2–10) समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

11. राजेन्द्र पुत्र मदनलाल
12. विजेन्द्र पुत्र मदनलाल
13. महेन्द्र पुत्र मदनलाल
14. कपूर पुत्र मदनलाल
15. जीतू पुत्र मदनलाल

(11–15) समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खेड़ला पो0 हिंगोटिया तहसील लवाण जिला दौसा।

16. सम्पत्ति पत्नि रामचरण पुत्री मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी चौबे की ढाणी गीजगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।
17. पप्पी पुत्री मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी खेड़ला पो0 हिंगोटिया तहसील लवाण जिला दौसा।
18. योगेश पुत्र सीताराम
19. विकास पुत्र सीताराम
20. निर्मल पुत्र सीताराम
21. मीना पुत्री सीताराम
22. मंजू पुत्री सीताराम
23. प्रियंका पुत्री सीताराम

(18–23) समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खेड़ला पो0 हिंगोटिया तहसील लवाण जिला दौसा।

24. प्रभाती पत्नि किशनलाल पुत्री सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी गुल्लाना तहसील बसवा जिला दौसा।
25. एसबीआई बैंक शाखा सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक।
26. पीएनबी बैंक शाखा सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक।
27. यूको बैंक शाखा सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक।
28. भूमि विकास बैंक शाखा सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक।
29. राज. सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:24:38 IST
Reason: Self Attested

(प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी सिकराय बाबत् प्रकरण वाद तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रामनिवास आदि बनाम अरविन्द कुमार वगैरा मुकदमा नम्बर 118/2022 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 63/2022)

उपस्थिति : श्री सतीश कुमार पारीक अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री महेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा. 24 उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

:— निर्णय :— दिनांकः— 23.09.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 29 के विरूद्ध वाद तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रामजीलाल वगैरा बनाम अरविन्द कुमार वगैरा मुकदमा नम्बर 118/2022 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 63/2022 प्रस्तुत कर रखे है। उक्त प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के हक में बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये ही व बिना बहस सुने व प्रार्थी को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही प्रकरण का प्रार्थी गण के खिलाफ फैसला कर देंगे। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त मुकदमों को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचारधीन उक्त प्रकरणों में तारीख पेशी दिनांक 03.07.2024 नियत थी। उक्त दिनांक को प्रार्थी रामप्रताप ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु समय देने के लिये निवेदन किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस करने के लिये दबाव डाला गया व बडी मुश्किल से तारीख पेशी दिनांक 24.07.2024 दी गई तथा कहा गया कि आगामी तारीख पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करवा देना अन्यथा पत्रावली निर्णय में लगा दूंगा। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2 व 10 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में मिलते हुये भी देखा है, जिससे प्रार्थीगण को पूर्ण विश्वास हो गया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरणों में पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थीगण सांठगांठ करके अनुचित लाभ प्राप्त करके बिना प्रक्रिया पूर्ण किये ही फैसला करने को आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अन्य मुकदमों में रूटीन की तारीख पेशीयां दी जा रही है, जबकि इन मुकदमों में 25.06.2024, 01.07.2024, 03.07.2024, 24.07.2024 की तारीख पेशीयां दी जा रही है, जबकि प्रकरण अभी तक कुरेजात आपत्ति की बहस में नियत है। जिससे प्रार्थीगण को विश्वास हो गया है कि पीठासीन अधिकारी प्रार्थीगण के विरूद्ध फैसला कर देंगे। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय की पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। इसलिये उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मंजूर फरमाकर उक्त मुकदमों को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 लगा. 24 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन उक्त प्रकरण तकास्मा से सम्बन्धित है, जिसमें सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है, जिसमें तहसीलदार को मात्र कूरेजात बनाना है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कूरेजात पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है जो निर्णीत नहीं हो रही है। प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 2 में पीठासीन अधिकारी पर जो आरोप लगाये गये है, वह निराधार है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजात/तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप साबित होते हो। पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिवत सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में अनापत्ति को निर्णित नहीं करवाकर एवं अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने तथा प्रकरण को लम्बित रखने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त तथ्यात्म[illegible]रिपो[illegible] प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप निराधार एवं गलत होना, प्रकरण में नियमानुसार [illegible] की जा[illegible] एवं साक्ष्य सबूतो का अवलोकन कर ही निर्णय किया जाना अंकित करते हुये प्रार्थीगण द्वारा [illegible]त प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज करने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:24:38 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली में उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी सिकराय की तथ्यात्मक रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन दावा तकास्मा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है और ना ही पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप साबित किये जा सके है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण से प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:24:38 IST
Reason: SelfAttested